सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

38

अढ़तालीसवाँ प्रतिवेदन

[गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुई देरी]

(10.08.2021_को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त 2021 / **श्रावण** 1943 (शक)

विषय सूची पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समति (2020-21) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन		
गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुई देरी		01
अनुबंध		
एक	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली को वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के लिए जारी किए गए वार्षिक सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण।	13
दो	गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	14
तीन	गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	15
परिशिष्ट		
एक	समिति (2019-2020) की 04.03.2020 को हुई **तीसरी** बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	18
दो	समिति (2020-2021) की 20.07.2021 को हुई **आठवीं** बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	20

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2020-2021)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती बी. विसाला	-	निदेशक
3.	श्री मुनीष कुमार रेवाड़ी	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती मनजिंदर पब्बी	-	अवर सचिव
5.	श्रीमती रजनी भगत	-	समिति अधिकारी
6.	श्री दर्पण शर्मा	-	सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब से संबंधित समिति का यह अड़तीसवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 के क्रमश: पहले प्रतिवेदन, दूसरे प्रतिवेदन (पाँचवी लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिश के संदर्भ में संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

3. समिति ने गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में हुई देरी के मामले पर विचार किया और इस संबंध में 04.03.2020 को आयोजित बैठक में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिये।

4. समित ने 20.07.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति लिखित उत्तरो, अन्य सामग्री/ जानकारी को प्रस्तुत करने और समिति के समक्ष अपने विचार रखने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के अधिकारिओ के प्रति अपना धन्यवाद करना चाहती है ।

6. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित कराया गया है।

नई दिल्ली
29 जुलाई, 2021
07 श्रावण, 1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुआ विलंब

गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके) गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्टाफ कल्याण योजना के रूप में दिल्ली में गरीब और जरूरतमंद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति सुधारने के दृष्टिगत उनकी आवासीय कॉलोनियों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से कौशल तथा अनुभव हासिल करने के उद्देश्य से वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था।

गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके) को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में वर्ष 1965 में पंजीकृत किया गया था और वर्ष 1986 तक यह गृह मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य कर रहा था। गृह कल्याण केन्द्र 26 फरवरी, 1987 से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य कर रहा है। गृह कल्याण केन्द्र को चार सदस्यों के बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता था। बाद में, गृह कल्याण केन्द्र के कार्यकलापों को दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद, देहरादून, जयपुर, नागपुर, बैंगलौर, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता अर्थात् नौ शहरों तक विस्तारित किया गया है।

2. गृह कल्याण केन्द्र के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने हेतु प्रावधान और समय के बारे में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को बताया किः-

"जीकेके बोर्ड के अधिनियम, नियम और विनियम इन दस्तावेजों को सभापटल पर रखने हेतु किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं करते हैं। तथापि, सामान्य वित्त नियमों के नियम 237 के अनुसार, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को 31 दिसम्बर तक संसद के सभापटल पर रखने के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।"

3. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति [दूसरा प्रतिवेदन(छठी लोक सभा), पैरा 1.12] की 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत सिफारिशों के संदर्भ में, संसद द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद, शेयरों, राज सहायता, सहायता अनुदान आदि के रूप में, भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सभी सांविधिक/स्वायत्त संगठनों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों आदि को चाहिए कि वे या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से अपने वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखा परीक्षित प्रतिवेदनों (अंग्रेजी और हिंदी, दोनों संस्करण) को सभा पटल पर रखें।

4. समिति ने 8 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) में इस बात पर जोर दिया है कि स्वायत संगठनों को चाहिए कि वे अपने वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षित लेखाओं और समीक्षा को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखें। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक मंत्रालय की भी यह जिम्मेदारी है कि वे संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखें। तथापि, यदि किसी कारणवश, वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो संबंधित मंत्रालय को चाहिए कि वे उक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा जैसे ही सभा

समवेत हो, जो भी बाद मे हो, दस्तावेज को सभा पटल पर समय से न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखें।

5. गृह कल्याण केन्द्र ने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से सहायतानुदान प्राप्त किया। भारत सरकार द्वारा जीकेके को वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2018-19 तक जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-एक** में दिया गया है।

6. वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2016-17 के जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी संसदीय समिति द्वारा संवीक्षा को क्रमशः 02, 04 और 23 माह से अधिक के विलंब से सभापटल पर रखा गया। तथापि, अनुवर्ती वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 के आवश्यक दस्तावेजों को अभी तक सभापटल पर नहीं रखा गया है। जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियां तथा विलंब की अवधि **अनुबंध-दो** में दी गई है।

7. जब जीकेके के वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित टिप्पण में बतायाः-

> *"जीकेके के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंध में विलंब जीकेके बोर्ड का गठन न होने की वजह से हुआ। बोर्ड के सदस्य बदल चुके थे और बोर्ड के पुनर्गठन में कुछ समय लगा।*

वर्ष 2017 के दौरान, जीकेके के भुगतान मोड को नकदी/चेक से ऑनलाइन में परिवर्तित किया गया। रसीद बुक भी हटा दी गई। लेखापरीक्षक को नई प्रक्रिया समझने में कुछ समय लगा, जिससे लेखाओं के समामेलन में विलंब हुआ।"

8. यह पछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/जीकेके ने इन वर्षों के दौरान हुए विलंब के चरणों की पहचान की है और मंत्रालय द्वारा इसे किस तरह कम करने का विचार है, तो मंत्रालय ने बताया किः

"वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान -जीकेके बोर्ड का गठन न होने की वजह से विलंब हुआ।
वित् वर्ष 2017-18 के दौरान - लेखापरीक्षक से लेखापरीक्षित लेखाओं की गैर-प्राप्ति।
वित् वर्ष 2018-19 के दौरान - लेखापरीक्षक से लेखापरीक्षित लेखाओं की गैर-प्राप्ति।

वर्तमान में बोर्ड गठित है। लेखाओं के समामेलन में प्रक्रिया संबंधी विलंब का समाधान कर लिया गया है। लेखापरीक्षक से 29.02.2020 तक अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। लेखापरीक्षक को तत्काल स्मरण करवाया गया है।"

9. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षक प्राधिकारियों के साथ लेखाओं के लेखांकन संबंधी मामले को कैसे निपटाया गया, इस संबंध में मंत्रालय ने बताया किः

"मंत्रालय सोसायटी के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत करने के प्रत्येक चरण में गृह कल्याण केन्द्र द्वारा समय-सारणियों का कड़ाई

से पालन करने पर जोर देता है। मंत्रालय वार्षिक प्रतिवेदन के समयबद्ध संकलन और वित्त वर्ष पूरा होने पर लेखाओं के लेखा परीक्षण किए जाने हेतु गृह कल्याण केन्द्र की सतत निगरानी करता है, ताकि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जा सकें और प्रतिवेदन निर्धारित समय के भीतर माननीय सदन के समक्ष रखा जा सके।"

10. दस्तावेजों के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की बैठक के आयोजन से जुड़ी प्रक्रिया संबंधी दिक्कतों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया किः

"वर्ष 2016-17 के लिए गृह कल्याण केन्द्र के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं के संबंध में होने वाला विलंब गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड का गठन न करने के कारण हुआ। बोर्ड के सदस्य बदल गए थे और बोर्ड के पुनर्गठन में कुछ समय लगा।"

11. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय के पास कार्य की प्रगति की निगरानी तथा दस्तावेजों को समयबद्ध तरीके से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

"मंत्रालय गृह कल्याण केन्द्र के दस्तावेजों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी करता है, ताकि उन्हें निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जा सके। यह कार्य, विभाग के संसद अनुभाग के माध्यम से नियमित रूप से किया जाता है और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में इसकी भी समीक्षा की जाती है।"

12. यह पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में लेखा वर्ष के समाप्त होने से नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समयबद्ध रूप से रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली दोनों द्वारा कोई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने प्रस्तावित हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित टिप्पण में निम्नवत बतायाः

"भविष्य में लेखों के समामेलन में होने वाले विलंब से बचने के लिए, गृह कल्याण केन्द्र की वेबसाइट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक भुगतान पटल (पेमेंट गेटवे) भी होगा। यह लेखाओं का वास्तविक समय में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार किसी भी विलंब को उजागर करेगा।"

13. समिति ने जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या मंत्रालय ने वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने हेतु जीकेके या मंत्रालय द्वारा अनुपालन करने के लिए कोई समय-सारणी निर्धारित की है, यदि नहीं तो कारण बताएं। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

"मंत्रालय द्वारा गृह कल्याण केन्द्र को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और इस प्रभाग को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित सारणी का कड़ाई से अनुपालन करने की समय-समय पर सलाह दी गई है:-

- *लेखाओं की लेखापरीक्षा- अंतिम रूप से लेखा परीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक तैयार हो जाने चाहिए।*

- *प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक वार्षिक प्रतिवेदन के लिए विषय-वस्तु का संग्रहण और वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाना चाहिए।*
- *वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं पर सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड/शासी परिषद/आम निकाय) का अनुमोदन प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक प्राप्त कर लिया जाए।*
- *संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन (लेखा परीक्षित लेखाओं सहित) की 100 प्रतियों (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) की इस प्रभाग को प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर तक प्रस्तुति करना।"*

जांचाधीन अवधि के दौरान, संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने हेतु लेखापरीक्षकों से संपर्क करने से लेकर प्रत्येक चरण पर लिए गए वास्तविक समय को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-तीन** पर दिया गया है।

14. वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार करने हेतु समिति ने 04 मार्च, 2020 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

15. साक्ष्य के दौरान, डीओपीटी तथा जीकेके के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया किः

"....वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट ड्यू हो रही है....., वर्ष 2017-18 में जो ऑडिटर थे, उनके सामने हमने नए

प्रकार का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया था। हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया और जो मैन्युअल कागज के रूप में रिसीट्स होते थे, उन सबको बंद कर दिया, इसके उपयोग से ट्रांसपरेंसी आई है और हिसाब-किताब रखने में भी सुविधा मिली है। इस प्रकार के जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स शुरू हुए थे, उससे लेखा मिलान करने में काफी समस्याएं आ रही थीं। इसी समस्या के कारण रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब हो गया। वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट के बारे में हमने ऑडिटर साहब से इंसिस्ट किया था, उन्होंने कल या परसों के मेल में ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया है। हम उसका अनुपालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बोर्ड की मीटिंग करके उसको पास कर लें। वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट भी जल्द ही बन जाएगी.....

(मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा)

".....साल के विन्टर सेशन तक हम दोनों रिपोर्ट्स दे देंगे....."

(जीकेके के प्रतिनिधि द्वारा)

".....बीच में ट्रांजिशन हो गया था, उसकी वजह से देर हो गई थी। आगे से देर नहीं होगी....."

(मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा)

टिप्पणियां / सिफारिशें

16. समिति यह जानकर निराश है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केंद्र (जीकेके), नई दिल्ली लेखा वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के भीतर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे सभापटल पर रखने के बारे में सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 237 का पालन करने में विफल रहे थे। समिति ने पाया कि मंत्रालय द्वारा सभापटल पर रखे गए जीकेके के अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे वर्ष 2016-17 के थे, वह भी 23 महीने से अधिक की देरी के साथ रखे गए, जबकि, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दस्तावेज क्रमश: 31.12.2018 और 31.12.2019 की सभापटल पर दस्तावेज रखने की निर्धारित तिथि के बावजूद अभी तक सभापटल पर नहीं रखे गए हैं। समिति आगे चिंता के साथ नोट करती है कि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में भी, यानी 2013-14 से 2015-16 तक, मंत्रालय ने अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर, केवल एक बार यानी वर्ष 2015-16 में रखने में कामयाबी हासिल की थी। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दस्तावेजों को क्रमशः 02 महीने और 04 महीने की देरी के साथ रखा गया था।

यद्यपि जीकेके एक नेक कार्य कर रहा है, तथापि इन दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभापटल पर रखने के अपने संसदीय दायित्व को पूरा

करने में मंत्रालय और जीकेके दोनों द्वारा दिखाए गए ढुल-मुल रवैय्ये से समिति बेहद निराश है।

17. समिति को बताया गया कि वर्ष 2016-17 की देरी जीकेके बोर्ड का गठन न होने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की स्वीकृति प्राप्त करने में देरी हुई। समिति का पूरी तरह यह मानना है कि बोर्ड का गठन एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसे जीकेके के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं सहित महत्वपूर्ण निर्णयों और दस्तावेजों को समय पर मंजूरी देने के लिए मंत्रालय द्वारा समय रहते देखा जाना चाहिए। समिति पुरजोर तरीके से मंत्रालय को भविष्य में ऐसी देरी से बचने के लिए अपने अधीन निकायों के प्रशासनिक मामलों में तेजी से कार्य करने के निदेश देती है।

18. समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि जीकेके को वर्ष 2016-17 के दस्तावेजों को अनूदित और मुद्रित करवाने में जून 2019 में बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भी 05 महीने और लग गए।

समिति दृढ़ता से मंत्रालय को एक ठोस समय-सारणी तैयार करने का निदेश देती है, जिसमें प्रत्येक चरण के लिए लक्षित तिथियों को स्पष्ट इंगित किया जाए, जो इन दस्तावेजों को संसद के समक्ष रखने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

से लेकर इन दस्तावेजों को संसद में प्रस्तुत करने तक यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बनाई गई समय-अनुसूची का भविष्य में कड़ाई से पालन किया जाएगा।

19. समिति को यह भी बताया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए देरी मैनुअल रसीदों से ऑनलाइन मोड में भुगतान के बदलाव के कारण हुई थी। तथापि समिति यह नोट करती है कि 2017-18 और 2018-19 में देरी लेखा परीक्षकों से लेखा परीक्षित लेखाओं की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई थी। इसलिए, समिति मंत्रालय को लेखापरीक्षा अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में देरी का मामला उठाने की सिफारिश करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लंबित लेखापरीक्षा का काम जल्द से जल्द पूरा हो और भविष्य में ऐसी देरी न हो।

20. समिति चाहती है कि अपने कर्मचारियों और लेखा परीक्षकों को नए ऑनलाइन पोर्टल के कुशल उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से उसे अवगत कराया जाए। समिति सिफारिश करती है कि इस तरह के प्रशिक्षण को प्रत्येक संबंधित कर्मचारी और लेखा परीक्षक के लिए आयोजित किया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को इस पोर्टल से संबंधित डेवलपर्स के साथ समयबद्ध तरीके से उठाया जाए।

21. समिति मंत्रालय को पुरज़ोर तरीके से यह नोट करने के लिए कहती है कि अगर कुछ अपरिहार्य कारणों से मंत्रालय के अधीन किसी संगठन/सोसाइटी/संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे सभापटल पर रखने में विलंब होता है, तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपेक्षित दस्तावेज सभापटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताते हुए एक विवरण 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सभापटल पर रखा जाए, जैसा कि समिति ने अपने पहले प्रतिवेदनों में सिफारिश की थी।

नई दिल्ली
20 जुलाई, 2021
29 आषाढ़,1943(शक)

रितेश पांडेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

अनुबंध-एक

देखिए, प्रतिवेदन का पैरा 05

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली को वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के लिए जारी किए गए वार्षिक सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	जारी किया गया सहायता-अनुदान (करोड़ रुपए में)
2016-2017	2.50
2017-2018	2.25
2018-2019	2.10

अनुबंध-दो

देखिए, प्रतिवेदन का पैरा 06

गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की निर्धारित तिथि	विलंब की अवधि
2013-2014	18.03.2015	31.12.2014	02 माह और 18 दिन
2014-2015	11.05.2016	31.12.2015	04 माह और 11 दिन
2015-2016	14.12.2016	31.12.2016	कोई विलंब नहीं
2016-2017#	11.12.2019	31.12.2017	23 माह और 11 दिन
2017-2018#	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया	31.12.2018	-
2018-2019#	अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया	31.12.2019	-

 # समिति द्वारा जांच की गई अवधि

अनुबंध- तीन

देखिए, प्रतिवेदन का पैरा 13

गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
i.	लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए जीकेके द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि।	18.04.2017	28.02.2018	23.10.2018
ii.	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि।	27.07.2017	26.04.2018	17.06.2019
iii.	जीकेके के वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि।	अप्रैल में लेखांकन वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद	अप्रैल में लेखांकन वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद	अप्रैल में लेखांकन वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद
iv.	लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तिथि।	अगस्त 2017	मई 2018	जून 2019
v.	लेखापरीक्षकों द्वारा	सितंबर 2017	लागू नहीं	लागू नहीं

	जीकेके की वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि।			
vi.	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा प्रश्न उठाए जाने की तिथि।	कई बार	कई बार	कई बार
vii.	लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराए जाने की तिथि।	त्वरित उत्तर दिया गया	त्वरित उत्तर दिया गया	त्वरित उत्तर दिया गया
viii.	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि।	सितंबर 2017	लागू नहीं	लागू नहीं
ix.	अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि।	सितंबर 2017	लागू नहीं	लागू नहीं
x.	वार्षिक प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने की तिथि।	-	-	-
xi.	सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को अनुमोदित कराए जाने की तिथि।	10.06.2019	लागू नहीं	लागू नहीं
xii.	अनुवाद और मुद्रण हेतु दस्तावेजों को लिए जाने	08.11.2019	लागू नहीं	लागू नहीं

	की तिथि और कार्य को पूरा करने में लगा समय।			
xiii.	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मंत्रालय को भेजने की तिथि।	25.11.2019	लागू नहीं	लागू नहीं
xiv.	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि।	11.12.2019	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट-एक

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-2020) की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक बुधवार, 4 मार्च, 2020 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कक्ष 'ई' संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम सिंह यादव - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली कैसर
5. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
6. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
7. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
8. श्री टी.एन. प्रथापन
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री बी. श्रीनिवास प्रभु - संयुक्त सचिव
2. श्री कुशल सरकार - निदेशक
3. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1. सुश्री सुजाता चतुर्वेदी - अपर सचिव (ई)
2. सुश्री वनिता सूद - उप सचिव और सीडब्ल्यूओ, जीकेके

X X X X

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक के आयोजन के प्रयोजन के बारे में बताया।

3-8. **X X X X**

9. सभापति ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) और गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बताया कि जीकेके, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों पर चर्चा करने हेतु बैठक बुलायी गयी है। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

10. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष गृह कल्याण केन्द्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। इसके अलावा, उन्होंने समिति के समक्ष यह निवेदन किया कि वर्ष 2017-18 में एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया था जिससे लेखाओं के समाधान में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप, उस वर्ष का प्रतिवेदन तैयार करने में विलंब हुआ। समिति को भरोसा दिलाया गया था कि इन कार्यों के प्रतिवेदन इस वर्ष के शीतकालीन सत्र के दौरान सभा पटल पर रखे जाएंगे।

11. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा के लिए मंत्रालय और जीकेके, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

12-16. **X X X X**

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

.....

परिशिष्ट-दो

सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक मंगलवार 20 जुलाई 2021 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष '01' में, संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग, नई दिल्ली में हुई

उपस्थित

श्री रितेश पांडेय – **सभापति**

सदस्य

1. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
2. डॉ ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री एस. रामलिंगम
6. श्री सप्तगिरी उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित xxxx प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए लिया :-

1. गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), नई दिल्ली;
2. **X X X XI**

कुछेक चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के इन xxxx प्रतिवेदनो को स्वीकार किया।

4. **X X X X X**

5. समिति ने इन प्रतिवेदनों को संसद में प्रस्तुत करने हेतु माननीय सभापति को प्राधिकृत किया।

6-10. X X X X X

<u>तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

****